

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं० 2133/2016

सिविल रिट संख्या-17703/2014

=====

जय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय जगनारायण सिंह, गाँव-मझौआ, डाकघर आरा, थाना आरा
टाउन, जिला-भोजपुर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिलाधिकारी, भभुआ।
3. कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, भभुआ।
4. अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई भभुआ।
5. सहायक अभियंता, लघु सिंचाई उपखंड, मोहनिया।

..... उत्तरदाता

=====

1959 के पीडब्ल्यूडी संहिता के आधार पर किसी कार्य प्रभार वाले कर्मचारी को पेंशन का हकदार ठहराने का कोई भी निर्णय एक गलत निर्णय है जब तक कि ऐसा कर्मचारी एक सचेत निर्णय द्वारा स्थायित्व का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता है। (पैरा-7)

याचिकाकर्ता ने कभी भी स्थायी प्रतिष्ठान में स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं लिया जो एक सचेत निर्णय द्वारा अर्जित नहीं किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की-एल. पी. ए. में कोई योग्यता नहीं है। (पैरा-8,9)

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील सं० 2133/2016

सिविल रिट संख्या-17703/2014

=====

जय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय जगनारायण सिंह, गाँव-मझौआ, डाकघर आरा, थाना आरा
टाउन, जिला-भोजपुर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिलाधिकारी, भभुआ।
3. कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, भभुआ।
4. अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई भभुआ।
5. सहायक अभियंता, लघु सिंचाई उपखंड, मोहनिया।

..... उत्तरदाता

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा, (अधिवक्ता)

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता : श्री दुर्गेश नंदन, एएजी-14

=====

कोरम:माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय

और

माननीय श्री जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रति:माननीय श्री जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद)

तारीख:09-02-2018

अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. अपीलार्थी, वर्तमान मामले में, विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.08.2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट है, जिसमें कहा गया है कि क्योंकि याचिकाकर्ता कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में काम करता था और स्थायी प्रतिष्ठान में पुष्टि किए बिना उस क्षमता में सेवानिवृत्त हुआ था, इसलिए उसे राज्य के तहत एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए रिट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने वाला निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, जो अन्यथा राज्य के एक नियमित कर्मचारी के लिए उपलब्ध है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने पीडब्ल्यूडी संहिता की धारा 59 पर बहुत अधिक भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि एक कार्य शुल्क प्रतिष्ठान का मोटे तौर पर मतलब उस प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी है जिसका वेतन और भत्ते सहित खर्च काम के लिए प्रभार्य हैं।

4. विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 10710 दिनांक 17.10.2013 के अनुसार, याचिकाकर्ता को 21.10.1989 तक पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित किया गया माना जाएगा और वह राहत का हकदार होगा।

5. राज्य के विद्वान वकील ने लेटर्स पेटेंट अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। चूंकि याचिकाकर्ता की स्थायी प्रतिष्ठान में पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए वह उन लाभों का हकदार नहीं होगा जो राज्य के तहत स्थायी कर्मचारी को उपलब्ध हैं।

6. हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया मुद्दा अब समग्र नहीं है। इस मामले में शामिल बिंदु पर सबसे शुरुआती फैसलों में से एक इस मामले में इस अदालत का पूर्ण पीठ का फैसला है *दुर्गानंद झा बनाम बिहार राज्य (एफ. बी.) ने 2007 (4) पी. एल. जे. आर. 259* में रिपोर्ट किया।

7. हाल ही में, बिहार राज्य बनाम बिमली देवी के मामले में ने एल. पी. ए. सं. 1566/2015 जिसका निपटारा दिनांक 24/11/2015 को में पारित आदेश के माध्यम से इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने निर्णय दिया है कि किसी कार्य प्रभार कर्मचारी को इस आधार पर पेंशन लाभ का हकदार ठहराने का कोई भी निर्णय कि उसने 1959 पीडब्ल्यूडी संहिता के आधार पर स्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, तब तक एक गलत निर्णय है जब तक कि ऐसा कर्मचारी एक सचेत निर्णय द्वारा स्थायित्व का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 35,36,37,38,39,40 को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है:

“35. एक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों सहित खर्च, ऐसे प्रतिष्ठान द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रभार्य हैं। एक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में लगे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को आम तौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के तहत एक अलग लागत के रूप में दिखाया जाता है। स्वाभाविक रूप से, इसलिए, एक कार्य प्रभारित कर्मचारी की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की होती है क्योंकि कार्य समाप्त हो जाती है, जो परियोजना, जब एक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान करता है, पूरा हो जाता है।

36. दूसरे शब्दों में, कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं निर्दिष्ट कार्य के पूर्ण निष्पादन तक अस्थायी आधार पर लगे हुए हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान बनाया गया हो सकता है। जब से प्रकृति की एक कार्य प्रभारित कर्मचारी का रोजगार स्वाभाविक रूप से है अस्थायी प्रकृति में, उसकी सेवा स्वचालित रूप से काम के पूरा होने पर समाप्त हो जाती है, जो कि प्रतिष्ठान का एकमात्र उद्देश्य था, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

37. एक प्रतिष्ठान के तहत एक विशेष रोजगार, इस प्रकार, एक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान से अलग है और इन दो प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए नियोजित व्यक्ति दो अलग-अलग और अलग-अलग वर्ग बनाते हैं। नतीजतन, यदि नियमों का एक अलग सेट तैयार किया जाता है कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में लगे व्यक्ति और सामान्य नियम, जो अन्यथा, नियमित प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं, नहीं हैं यह कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी मनमाना व्यवहार किया जाना या उसके साथ भेदभाव किया जाना क्योंकि सरकार को अपने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग नियम बनाने की स्वतंत्रता है।

38. *पारिवारिक पेंशन* उस व्यक्ति के परिवार को प्रदान की जाती है, जिसकी सेवाएं पारिवारिक पेंशन के अनुदान से संबंधित योजना या *पारिवारिक पेंशन* के अनुदान को नियंत्रित करने वाले कानून द्वारा कवर की जाती हैं। बिहार राज्य में, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58 के आधार पर किसी व्यक्ति को पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, जिसे हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है।

39. बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58 को लागू करने के लिए, उसकी सेवा बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58 के अनुसार होनी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, सरकार द्वारा एक सेवा का भुगतान किया जाना चाहिए और रोजगार मूल और स्थायी होना चाहिए। चूंकि कार्य प्रभारित कर्मचारी की *सेवा वास्तविक और स्थायी नहीं है*, इसलिए वह बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58 के तहत पेंशन का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 58 के प्रावधान उसे किसी कानून या किसी कार्यकारी निर्देश या योजना द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, बशर्ते कि ऐसा कार्यकारी निर्देश या योजना, अन्यथा, कानून में मान्य हो। कोई वैधानिक प्रावधान, कार्यकारी निर्देश/परिपत्र या अधिसूचना या योजना हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है, जो बिहार राज्य में एक कार्य प्रभारित कर्मचारी को पेंशन का हकदार बनाता है। एक कार्य प्रभारित कर्मचारी की इकाई और स्थिति नियमित से भौतिक रूप से भिन्न होती है कर्मचारी। किसी राज्य की स्थायी स्थापना सरकार में स्थायित्व की स्थिति है और यह समाप्त होने तक जारी रहेगी; जबकि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में बनाया जाता है और काम पूरा होने पर कर्मचारियों की नियुक्ति समाप्त हो जाती है।

40. आवश्यक रूप से, इसलिए, एक व्यक्ति, जो काम करने में लगा हुआ है एक कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में, एक होना बंद हो जाएगा जैसे ही प्रभारित प्रतिष्ठान का काम समाप्त हो जाता है कर्मचारी। अधिकार और स्थिति इसलिए, कार्य प्रभारित कर्मचारी एक *नियमित कर्मचारी* से अलग होते हैं। ”

8. इस मामले के स्वीकृत तथ्यों में ऊपर जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को कभी भी स्थायी प्रतिष्ठान में नहीं लिया गया था और उसने कभी एक सचेत निर्णय के द्वारा स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

9. इस लेटर्स पेटेंट अपील की कोई योग्यता नहीं है। तदुसार इसका निपटारा किया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।